संख्या-15/2017/4304/नौ-5-16-111बजट/2015

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में **नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत** जनपद आगरा के धनौली **ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण हेतु निर्गत वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबंधक (प्रथम), टी.एण्ड डी.एस., उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ पत्र संख्या-1291/म.नि.नि.-8/का-1/26 दिनांक 01.01.2017, जिसके माध्यम से नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत नगर निगम, आगरा के **"धनौली ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण से संबंधित प्रायोजना"** हेतु शासनादेश संख्या-281/2015/2257/नौ-5-15-111बजट/2015, दिनांक 12.08.2015 द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में **'नगरीय जल निकासी योजना'** के अन्तर्गत नगर निगम, आगरा के **"धनौली ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण से संबंधित प्रायोजना"** हेतु शासनादेश संख्या-281/2015/2257/नौ-5-15-111बजट/2015, दिनांक 12.08.2015 द्वारा रू0 3148.43 लाख की लागत पर निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष आगामी किश्त के रूप में कुल **₹ 500.00 लाख (₹ पांच करोड़ मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	जनपद	कार्य का नाम	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश एवं दिनांक	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि	आगामी किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	आगरा	जनपद आगरा में धनौली ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण से संबंधित प्रायोजना	281/2015/2257/नौ-5-15-111बजट/15, दिनांक 12.08.2015	3148.43	500.00	500.00
			216/2016/2058/नौ-5-16-111 बजट/2015, दिनांक 22.07.2016		500.00	
			योग		1000.00	500.00

(रू0 पांच करोड़ मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम तथा सचिव/संयुक्त सचिव/विशेष कार्याधिकारी/उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) प्रश्नगत कार्यों हेतु जिन शासनादेशों के माध्यम से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है, उन शासनादेशों में उक्त के अतिरिक्त उल्लिखित शेष शर्ते यथावत् रहेंगी तथा जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत *लेखाशीर्षक"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामें डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-15/2017/4304(1)/नौ-5-16-11बजट/15, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
3- जिलाधिकारी, आगरा।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-03/01/2017

प्रेषण संख्या:- 15

आवंटन आदेश संख्या:- 001-15-2017-4304-9-5-16-111B-2015

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

191 - नगर निगमों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

02 - नगरीय जल निकासी कार्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 141755000	50000000 141755000
	योग	वर्तमान प्रगामी	50000000 141755000	50000000 141755000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौदह करोड़ सत्रह लाख पचपन हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी